भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1147
उत्तर देने की तारीख-29/07/2026

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना

1147 **श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2024 में शुरू की गई पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;
(ख) इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् आंध्र प्रदेश से प्राप्त आवेदनों की जिला-वार तथा वर्ष-वार संख्या कितनी है;
(ग) उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु स्वीकृत आवेदनों की संख्या कितनी है;
(घ) उन गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षण संस्थानों का ब्यौरा क्या है जिनमें उपर्युक्त विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं; और
(ङ) तीन प्रतिशत ब्याज पर सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की वर्ष-वार तथा जिला-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ) भारत सरकार ने नवंबर 2024 में केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना पीएम-विद्यालक्ष्मी शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र को वित्तीय बाधाओं के कारण उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न किया जाए। इस योजना के तहत, सभी छात्रों को संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है जो उच्च गुणवत्ता वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में योग्यता-आधारित प्रवेश प्राप्त करते हैं और जो शिक्षा ऋण प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, यह योजना 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज अनुदान प्रदान करती है। प्रत्येक वर्ष एक लाख तक नए छात्र जो किसी अन्य छात्रवृत्ति या शिक्षा ऋण पर ब्याज अनुदान का लाभ नहीं उठा रहे हैं, वे इस ब्याज अनुदान

लाभ के लिए पात्र हैं। इस अवधि के दौरान 7 लाख नए छात्रों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान लाभ प्रदान करने के लिए वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक 3,600 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है।

एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल https://pmvidyalaxmi.co.in विकसित किया गया है, जो 25 फरवरी 2025 से कार्यशील है, जिस पर छात्र सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। 6 नवंबर, 2024 को इस योजना के शुभारंभ के बाद से 21 जुलाई, 2026 तक 112817 संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त पीएम विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत राशि 15,634.78 करोड़ रुपये है।

सभी शीर्ष 100 एचईआई को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) की सूची में समग्र/श्रेणी-विशिष्ट और/या डोमेन विशिष्ट रैंकिंग में स्थान दिया गया है; साथ ही एनआईआरएफ की सूची में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के शासन के तहत सभी शीर्ष 200 रैंक वाले एचईआई; साथ ही भारत सरकार के शासन के तहत शेष सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को क्यूएचईआई की सूची में शामिल किया गया है। इसका ब्यौरा https://dashboard.aishe.gov.in/hedirectory/#/hedirectory/vidhyaLakshmi/All पर उपलब्ध है।

किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज सहायता के दावे अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होते हैं। तदनुसार, वर्ष 2025-26 में 6 नवंबर, 2024 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दावे प्राप्त हुए। आंध्र प्रदेश राज्य से प्राप्त और स्वीकृत पीएम-विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण आवेदनों की जिला-वार और वर्ष-वार संख्या और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान लाभ प्राप्त करने वाले छात्रों की जिलावार संख्या अनुलग्नक में उपलब्ध है।

*****

अनुलग्नक

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 29.07.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1147 भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लखित अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश राज्य के लिए जिलेवार पीएम विद्यालक्ष्मी आवेदन संबंधी डेटा							
क्र.सं.	जिले का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25(06.11.2024 से 31.03.2025)		वित्तीय वर्ष 2025-26 (01.04.2025 से 31.03.2026)		वित्तीय वर्ष 2026-27(01.04.2026 से 22.07.2026)	
		प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत आवेदनों की संख्या
1	अल्लूरी सीतारमा राजू	10	4	609	384	253	116
2	अनकापल्ली	0	0	57	45	35	18
3	अनंतपुर	115	112	335	232	174	74
4	अन्नमय्या	1	1	110	70	37	13
5	बापतला	5	5	64	37	44	20
6	चित्तूर	92	89	473	321	213	111
7	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनसीमा	2	2	62	41	20	11
8	पूर्वी गोदावरी	188	184	808	578	304	151
9	एलुरु	4	4	69	52	36	22
10	गुंटूर	172	171	891	641	443	226
11	काकीनाडा	9	9	124	93	75	34
12	कृष्ण	144	142	641	457	254	136
13	कुरनूल	61	60	371	258	132	68
14	नांदयाल	2	2	84	50	25	12
15	एनटीआर	4	4	142	93	61	31
16	पालनाडु	0	0	74	51	38	21
17	पार्वतीपुरम मान्यम	6	5	31	22	12	8
18	प्रकाशम	85	85	374	249	158	83
19	एसपीएसआर नेल्लोर	62	61	248	185	115	53
20	श्री सत्य साई	10	8	146	102	67	34
21	श्रीकाकुलम	74	72	400	295	140	79
22	तिरुपति	5	2	174	128	100	50
23	विशाखापत्तनम	197	193	1033	746	528	340
24	विजयनगरम	94	94	367	279	150	87
25	पश्चिम गोदावरी	120	117	514	380	199	112
26	वाई.एस.आर.	80	79	303	208	123	57
कुल		**1542**	**1505**	**8504**	**5997**	**3736**	**1967**

आंध्र प्रदेश राज्य - जिलावार पीएमवीएल ब्याज अनुदान दावे (दावा वर्ष 2024-25, 2025-26 में प्राप्त) - ₹10 लाख तक के ऋण के लिए 3% ब्याज अनुदान

क्र.सं.	जिले का नाम	दावों की संख्या	निवल सब्सिडी राशि (₹ में)
1	अल्लूरी सीतारमा राजू	0	0
2	अनकापल्ली	0	0
3	अनंतपुरमु	1	18870
4	अन्नमय्या	0	0
5	बापतला	0	0
6	चित्तूर	4	11233
7	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनसीमा	0	0
8	पूर्वी गोदावरी	5	13905
9	एलुरु	0	0
10	गुंटूर	1	635
11	काकीनाडा	0	0
12	कृष्ण	3	7276
13	कुरनूल	1	1588
14	नांदयाल	0	0
15	एनटीआर	0	0
16	पालनाडु	0	0
17	पार्वतीपुरम मान्यम	0	0
18	प्रकाशम	1	414
19	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	0	0
20	श्री सत्य साई	0	0
21	श्रीकाकुलम	1	1371
22	तिरुपति	0	0
23	विशाखापत्तनम	3	4067
24	विजयनगरम	1	1510
25	पश्चिम गोदावरी	4	7096
26	वाई.एस.आर.	0	0
कुल		**25**	**67965**

*****